उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
संख्या–328/XXXVI(1)/2017-04-मु0स0/2015
दिनांकः 31 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

The Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के परामर्श से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र के वाणिज्यिक विवादों का न्याय निर्णयन करने के लिए देहरादून जिले में एक वाणिज्यिक न्यायालय (Commercial Court) का गठन करने और उक्त न्यायालय के लिए निम्न वर्णित अस्थायी संवर्गीय पदों को, उनके भरे जाने के दिनांक से दिनांक 28 फरवरी, 2018 तक, यदि ये पद बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जायें, सृजित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	कुल पदों की संख्या	भर्ती का स्त्रोत
1	Additional District Judge	पदधारक की सेवा शर्तो के अनुसार	01	पदधारक की सेवा शर्तो के अनुसार
2	Reader	9300–34800 ग्रेड पे 4200 (पुनरीक्षित वेतनमान 35400–112400 लेवल–06)	01	प्रतिनियुक्ति
3	Suit Clerk (वाद लिपिक)	5200–20200 ग्रेड पे 2800 (पुनरीक्षित वेतनमान 29200–92300 लेवल–05)	01	प्रतिनियुक्ति
4	Executive Clerk (कार्यकारी लिपिक)	5200–20200 ग्रेड पे 2800 (पुनरीक्षित वेतनमान 29200–92300 लेवल–05)	01	प्रतिनियुक्ति
5	Misc. Clerk	5200–20200 ग्रेड पे 2800 (पुनरीक्षित वेतनमान 29200–92300 लेवल–05)	01	प्रतिनियुक्ति
6	Stenographer/P.A having proficiency of short hand and typing both in English and Hindi	5200–20200 ग्रेड पे 2800 (पुनरीक्षित वेतनमान 29200–92300 लेवल–05)	01	प्रतिनियुक्ति
7	Data Entry Assistant	5200–20200 ग्रेड पे 2000 (पुनरीक्षित वेतनमान 21700–69100 लेवल–03)	01	प्रतिनियुक्ति अथवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से
8	Peon		02	आउटसोर्सिंग/बाहय स्त्रोत के माध्यम से
		कुल पद	09	

क्रमशः–2

2. उक्त पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान सं० 04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश-00" की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं० 595/XXVII(7)/2017 दिनांक 31.10.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से

(आलोक कुमार वर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या-328/XXXVI(1)/2017-04-मु०स०/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
5- समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6- समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड(क) परिनियत आदेश आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं अधिसूचना की 20 प्रतियां इस अनुभाग को भी भेजने का कष्ट करें।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
10- गार्ड फाइल/एन०आई०सी०।

(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव।